न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–194/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00020)

1. भैरू पुत्र श्री सूरा जाति रावत (पोखरिया) (मृतक) जरिए वारिसान –:
   1/1 श्रीमती फूली पत्नि स्व0 श्री भैरू
   1/2 खेमसिंह पुत्र श्री भैरू
   1/3 सुवा पुत्र श्री भैरू
   1/4 सावासिंह पुत्र श्री भैरू
   1/5 श्रीमती कमला पुत्री श्री भैरू
   1/6 श्रीमती नाना पुत्री श्री भैरू
   1/7 श्रीमती गुमानी पुत्री श्री भैरू समस्त जाति रावत निवासी गोडियावास (मोहामी) तहसील व जिला अजमेर।
2. शंकर पुत्र श्री सूरा जाति रावत (पोखरिया) निवासी गोडियावास (मोहामी) तहसील व जिला अजमेर।(मृतक नाम तर्क)।

अपीलांटस

बनाम

1. भगवान दत्तक पुत्र श्री मूला (मृतक) जरिए वारिसान–
   1/1 राजी देवी पत्नी भगवान (फौत नाम तर्क)
   1/2 भैरू पुत्र भगवान
   1/3 शैतान पुत्र भगवान
   1/4 जींया पुत्र भगवान
2. रतना पुत्र श्री कज्जा (मृतक) जरिए वारिसान–
   2/1 पप्पू पुत्र श्री रतना
   2/2 शंकर पुत्र श्री रतना
   2/3 वरदी पुत्री श्री रतना
   2/4 तीजा पुत्री श्री रतना
   2/5 गांधी पुत्री श्री रतना
   2/6 कमला पुत्री श्री रतना
3. नाथू पुत्र श्री कज्जा (मृतक) जरिए वारिसान–
   3/1 छोटी पत्नि नाथू
   3/2 उगमसिंह पुत्र नाथू
   3/3 हुजमसिंह पुत्र नाथू
   3/4 देवी पुत्र नाथू
4. लाला पुत्र श्री लादू
5. रामा पुत्र श्री लादू (मृतक) जरिए वारिसान–
   5/1 श्रीमती केली पत्नि श्री रामा
   5/2 छोटू पुत्र श्री रामा
   5/3 सरदारा पुत्र श्री रामा
   5/4 छीतर पुत्र श्री रामा
   5/5 श्रीमती बसंती पत्नि श्री गणेश (गणेश पुत्र श्री रामा)
6. देवी पुत्र मंदोरा
7. शंकर पुत्र श्री मंदोरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. पांचू पुत्र श्री मंदोरा
9. हालू (सालू) पुत्र श्री लूम्बा (मृतक) जरिए वारिसान–
   9/1 तुलसी पत्नि हालू (फौत नाम तर्क)
   9/2 मल्लासिंह पुत्र हालू
   9/3 दल्लासिंह पुत्र हालू
   9/4 गुडा पुत्र हालू
   9/5 बोदूसिंह पुत्र हालू
10. छीतर पुत्र श्री रामा
11. गणेश पुत्र श्री रामा (मृतक) जरिए वारिसान–
   11/1 शांति पत्नि गणेश
   11/2 फूला पुत्र गणेश (मृतक) जरिए वारिसान–
   11/2/1 शारदा पत्नि फूला
   11/2/2 निशा पुत्री फूला)
   11/2/3 शालू पुत्री फूला) नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता
   11/2/4 गुडी पुत्री फूला) श्रीमती शारदा बेवा फूला
   11/3 नारा पुत्र गणेश
   11/4 सेडू पुत्र गणेश
   11/5 गोरी पुत्री गणेश
   11/6 काली पुत्री गणेश
12. छोटू पुत्र श्री रामा
13. सरदार पुत्र श्री रामा
   समस्त जाति रावत, निवासी मोहामी, तहसील व जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

असल रेस्पोडेंटस

15. बीरमा पुत्र दूदा (मृतक) जरिए वारिसान–
   15/1 नौरती पत्नि बीरमा
   15/2 प्रताप पुत्र बीरमा
   15/3 लाडू पुत्र बीरमा
   15/4 मोहन पुत्र बीरमा
   15/5 दिलबाग पुत्री बीरमा
   15/6 कमला पुत्री बीरमा
16. छोटू पुत्र श्री दूदू
17. हीरा पुत्र श्री दूदा (मृतक) जरिए वारिसान–
   17/1 नंगी बेवा हीरा
   17/2 जयसिंह पुत्र हीरा
   17/3 सेढू पुत्र हीरा) नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती
   17/4 सेठी पुत्री हीरा) नंगी बेवा हीरा
   17/5 मोहनी पुत्री हीरा
   17/6 सुरजा पुत्री हीरा
   समस्त जाति रावत (पोखरिया), निवासी गोडियावास (मोहामी) तहसील व जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 सहायक कलक्टर,(मुख्यालय), अजमेर राजस्व वाद संख्या 20/2002

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री मोहम्मद इकबाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 15/1 से 15/6, 17/1 से 17/2,17/5, 17/6.
3. श्री सुरेन्द्र सेठी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10, 11/2/1 से 11/2/4, 11/4, 12, 13.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14.
5. श्री मानसिंह रावत, भींया राम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 10.
6. रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 8, 9/2 से 9/5, 11/1,11/3, 11/5, 11/6, 16,17/3 से 17/4. अनुपरिथत।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः–10.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहमी तहसील व जिला अजमेर में स्थित सारणी में वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मूला वल्द कालू, भगवान दत्तक पुत्र मूला, कज्जा पुत्र हिमता, लादू पुत्र दूला व सालू तथा भदोरा पुत्रान लूम्बा जाति रावत थे जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01से 19 है। उपरोक्त आराजी के तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकारी प्रतिवादी संख्या 1लगायत 9 के पूर्वज थे। जिनके द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पुरोन खसरा नम्बर 524 रकबा 10–19–00 बीघा तथा पुरोन खसरा नम्बर 523 मिन रकबा 16–07–00 बीघा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण के पिता सूरा पुत्र भवाना को आधा हिस्सा तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वज दूदू वल्द भूरा को 1/4 हिस्सा तथा हरजी पुत्र दूदू को 1/4 हिस्सा दिनांक 24.04.1960 को बेचान कर मौके पर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया तब से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें हैं। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार उपराक्त आराजीयात जो कि वादीग्गा एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01लगायत 9 के पूर्वजो से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त करने के बावजूद आराजी खसरा नम्बर 925 रकबा 2–05–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 926 रकबा 3–15–00 रामा वल्द लूम्बा तथा खसरा नम्बर 927 रकबा 1–10–00 बीघा छीतर, गणेश, छोटू, सरदारा पुत्रान रामा पोता लूम्बा दर्ज कर दी गई है जबकि इन व्यक्तियों का विवादित भूमि से किसी भी प्राकर का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है। बरवक्त खरीद विवादित आराजीयात के मूला वगैरह के साथ सालू व भदरो पिसराज लूम्बा खातेदार थे अर्थात उक्त रामा वल्द लूम्बा अन्य व्यक्ति है। जिसके उसके एवं उसके पोत्र के नाम बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आराजीयात खसरा नम्बकर 925, 926 एवं 927 सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित कर गैर कानूनी रूप से दर्ज किये गये है जिसकी दुरूस्ती की जाकर विवादित आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 925, 926, 927, 915 तथा 923 का वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखंलदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 के इंद्राज दुरूस्ती करवाने हेतु वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 को दिनांक 17.06.2002 को कहा तो वे स्पष्ट इंकार हो गए और कहा कि बंदोवस्त विभाग ने उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज कर दी है इसलिए इस जमीन के खातेदार हम हो चुके है और भविष्य में इन खेतों पर कदम मत रखना, उस पर काश्त भी अब हम ही करेंगे कहते हुए इंद्राज दुरूस्ती कराने से इंकार कर दिया। जिससे वाद कारण दिनांक 17.06.2002 से उत्पन्न होकर तथा पूर्व में बंदोवस्त विभाग द्वारा गलत प्रविष्टि दर्ज करने से आज दिनांक लगातार उत्पन्न हो रहा है। अंत में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 925, 926, 927, 915 व 923 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाने का निवेदन किया। उक्त वाद में मात्र प्रतिवादी संख्या 10 एवं 14 की ओर से इंकारी का जवाब प्रस्तुत किया गया, शेष की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात समस्त प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं वादीगण की साक्ष्य दर्ज की जाने के पश्चात बहस समाअत की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद गैर–कानूनी रूप से आदेश अंतर्गत अपील दिनांक 01.08.2011 को निरस्त फरमा दिया गया। अतः अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 8, 9/2 से 9/5, 11/1,11/3, 11/5, 11/6, 16,17/3 से 17/4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.8.2011 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अंदर मियाद अपील संख्या 422/2011 प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 12.3.2012 को आदेश पारित फरमाया जाकर अपील संयख्या 422/2011 मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने से निरस्त फरमा दी गई एवं न्यायहित में नई अपील पेश करने की आजादी प्रदान करने बावत आदेश पारित फरमाया गया। अतः न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 की पालना में उक्त अपील अंदर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 यह मुर्तिब की गई थी कि ग्राम मुहामी स्थित भूमि खसरा नम्बर 925, 926, एवं 927 की वादीगण खातेदारी पाने के मुश्तहक है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जिसके समर्थन में वादीगण ने जमाबंदी चौसाला सम्वत 2015 लगायत 2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत की जिसमें विवादित भूमि साविक खसरा नम्बर 523 एवं 524 प्रतिवादी संख 1 लगायत 9 एवं उनके पूर्वजों के नाम कॉलम संख्या 5 में दर्ज है, चूंकि अजमेर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.6.1995 को प्रभाव में आया थ उस दिना विक्रेतागण व उनके पूर्वज खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं इसी दौरान उनके द्वारा विवादित आराजीयात जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1960 को वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वजों को विकय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया। तब से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2019 लगायत 2022 में भी साबिक खसरा नम्बर 524 तत्कालीन खातेदारान के नाम दर्ज है फिर भी बंदोबस्त विभाग ने उससे मुर्तिब वर्किंग खसरा नम्बर 923 त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया तथा खसरा संख्या 925 व 926 प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के नाम वर्किंग जमाबंदी में बिना किसी आदेश एवं आधार व दस्तावेज के दर्ज कर दी। जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कुछ भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 925, 926 व 927 अनन्य रूप से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम दुरूस्ती की जाकर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 523 जो चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015 लगायत 2018 में विक्रेतागण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है लेकिन गैर कानूनी रूप से जमाबंदी सम्वत 2019 लगायत 2022 में कृषि के लिए उपलब्ध भूमि व पुरातन पडत दर्ज कर दी। जबकि क्रय करने के पश्चात वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 523 में से ही नए मुर्तिब खसरा नम्बर 926 में से रकबा 1 बीघा तथा 927 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर कानूनी रूप से बंदोबस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के नाम दर्ज की गई बाबत कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अंकित नहीं किया है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय साबिक खसरा नम्बर 523 की भूमि को ठीक प्रकार से सिवायचक दर्ज होना मानते है तो उक्त खसरा नम्बर के मुर्तिब वर्किंग खसरा नम्बर 916 लगायत 920, 926 व 927 किस आधार पर वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी हक से दर्ज किए गए बाबत कोई स्पष्टीकरण निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्किंग खसरा नम्बर 915 भी त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वयं सिद्ध होता है, जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। यदि किन्ही वर्षो में अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि के कारण अथवा अन्यथा कारण से कोई भूमि काश्त नहीं की जाती है या पडत रह जाती है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिससे कुछ वर्षो में भूमि पडत पडे रहने पर उसे सिवायचक दर्ज कर दी जावे। फिर भी मात्र कल्पना के आधार पर जमाबंदी सम्वत 2019 लगायत 2022 में राजस्व ऐजेंसी द्वारा त्रुटिपूर्ण इंद्राज दर्ज कर दिया गया तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी में साबिक खसरा संख्या 523 में से भी अधिकांश भूमि खातेदारी में दर्ज की गई। इस बिंदु को अनदेखा कर परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित किया है। इतना ही नही तत्समय दर्ज खातेदारान के सभी वारिसान को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार मुर्तिब किया गया है एवं उनके अतिरिक्त कोई वारिस शेष नहीं है अर्थात तत्कालीन सभी सह खातेदारान व उनके वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार मुर्तिब किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में असत्य रूप से मात्र कयास के आधार पर यह अंकित कर दिया कि अन्य सहहिस्सेदार भी हे जबकि कोई हिस्सेदार शेष नहीं थ और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने किन हिस्सेदारो को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया के नाम का ही अंकिन अपने निर्णय में किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह भली–भांति सिद्ध था कि बरवक्त निष्पादन विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1960 को विकेतागण खातेदार दर्ज थे फिर भी उन्होंने अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उक्त विक्रय पत्र से कोई अधिकार हांसिल नहीं होते है जबकि उक्त क्षेत्राधिकार परीक्षण न्यायालय में निहित नहीं था अर्थात अदृश्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करनेजैसा आदेश अंतर्गत अपील तनकी संख्या 1 में पारित किया है। पंजीकृत विक्रय पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रदर्श पी–1 है जो आज तक निरस्त नहीं किया गया है बल्कि आज भी प्रभाव में है एवं तनकी संख्या 2 यह मुर्तिब की गई थी कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा साबिक खसरा संख्या 523 व 524 पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किए गए थे जो प्रदर्श पी–1 से स्वयं सिद्ध थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्यया 2 व 3 का निर्णय कतई त्रुटिपूर्ण पारित किया है क्योंकि जब साबिक खसरा संख्या 523 जमाबंदी संम्वत 2019 लगायत 2012 में सिवायचक दर्ज थी जो बंदोबस्त विभाग व वर्किंग जमाबंदी में नए खसरा संख्या 915 के अतिरिक्त शेष आराजीयात खातेदारी हक से किस आधार पर दर्ज की और यदि दर्ज की है तो खसरा संख्या 915 भी वादीगण के नाम खातेदी हक से दर्ज करना चाहिए था। जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि राजस्व ऐजेंसी व बंदोबस्त विभाग ने मनमाने रूप से कतई गैर कानूनी तरीके से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टयां रिकार्ड में दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां दर्ज करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के बजाय केतागण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अदृश्य रूप से निरस्त करने जैसा आदेश पारित कर दिया जिससे तनकी संख्या 2 व 3 में उनके द्वारा पारित निर्णय नोन–स्पीकिंग एवं अपूर्ण होकर काबिल निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया गया था एवं बरवक्त क्रय विवादित भूमि सिवायचक नहीं होकर विकेतागण की खातेदारी में दर्ज की थी। जमाबंदी के कॉलम संख्या 5 में अंकित प्रविष्टि खातेदार की ही प्रविष्टि दर्ज की जाती है और यदि उसमें खातेदार शब्द दर्ज नही है तो अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में यह स्पष्ट करना चाहिए था कि उन व्यक्तियों की स्थिति काश्तकारी अधिनियम की धारा 14 में दर्ज काश्तकारों के किस वर्ग में मानी जावे। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा कब्जे काश्त की आराजीयात वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा अनन्य रूप से कानूनन जारी की जानी चाहिए थी। प्रतिवादीगण द्वारा बरवक्त बहस अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को असिद्ध नहीं किया गया था बल्कि बरवक्त बहस उपस्थित भी नहीं हुए थे तथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही गई थी जिससे यह स्वयं सिद्ध है कि प्रतिवादीगण द्वारा अदृश्य रूप से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया था ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एडवर्स इनफेरेंस ड्रो कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था जो स्वयं उनके द्वारा तनकी संया 5 लगायत 6 में पारित निर्णय से स्वयं सिद्ध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रकरण के सारभूत तथ्यों तथा कानूनी बिंदु को नजर अंदाज एवं तोड–मरोड कर निर्णय में अंकित करते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 को निरस्त किया जाकर अपीलांटस व तरतीवी रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को हाल खसरा संख्या 915, 923, 925, 926 व 927 का अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10, 11/2/1 से 11/2/4, 11/4, 12, 13 ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी,क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत की किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक नही है। प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10, 11/2/1 से 11/2/4, 11/4, 12, 13 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजकीय अभिभाषक ने अपने जवाब में बताया कि साबिक खसरा नम्बर 523 रकबा 28–04–00 अतिक्रमी दर्ज हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इसके आधार पर तनकीयात कायम कर, तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि इस प्रकार अंतिम चौसाला जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 523 सिवायचक दर्ज होने से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण इस बाबत् अनुतोष के हकदार नही है तथा साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 10–19–00 भूमि प्रदर्श पी–2 चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में हालू वगैरह व अन्य के मालिकाना हक में दर्ज है। विक्रेतागणत केवल कृषक ही दर्ज है इसलिए चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1960 से क्रेतागण को उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान की भूमि के हक अधिकार प्राप्त नही होते है क्योंकि अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 के अनुसार खसरा नम्बर 523 रकबा 28–4–00 के सिवायचक दर्ज होने से इसके हाल में बने खसरा नम्बरान में से भले ही कुछ खसरा नम्बरान की भूमि क्रेताओं के नाम दर्ज हो गये हो तो भी विधिवत हकों की प्राप्ति नहीं मानी जा सकती है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि की अंतिम चौसाला जमाबंदी तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के नाम हुए अंकनों के विक्रेताओं द्वारा बिना हक अधिकार के किया बेचान से क्रेता वादी व तरतीवी प्रतिवादी हाल खसरा नम्बर 925, 926, 927 के इन्द्राजात की दुरूस्ती वाद खातेदारी हकों की उद्घोषणा के हकदार नही है। चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019–2022 व 2023 से 2026 अनुसार पुरातन पड़त सिवायचक होने से वर्किंग जमाबंदी से सहीं अंकन किया है। वर्किंग जमाबंदी में भूमि खसरा नम्बर 925, 926, 927 का सही रूप से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है तथा प्रतिवादीगण की ही पुश्तैनी खातेदार एवं काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी सबूत भी पेश नहीं किये है, अंकन विधिवत होना स्पष्ट है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी का वाद विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अंदर मियाद शुमार किए जाने व अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किए जाते है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन तनकी वाद विवेचन इस प्रकार है–: 1. आया वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ग्राम मुहामी स्थित आराजी खसरा नम्बर 925, 926, 927 का इंद्राज दुरूस्त करवारक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015 लगायत 2018 प्रदर्श पी–2 प्रस्तुत की जिसके अनुसार खसरा नम्बर 523 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा विक्रेतागण मूला पुत्र कालू, भगवाना उर्फ भागू पुत्र करणा कब्जा वल्द हिमता लादू वल्द दूदा व हालू व मंदौरा पुत्रान लूम्बा रावत के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 524 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भी विक्रेतागण के नाम दर्ज है, उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 524 का सम्पूर्ण रकबा विक्रया किया गया है लेकिन खसरा नम्बर 523 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा में से मात्र 16 बीघा 7 बिस्वा रकबा वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस को विक्रय किया गया है, लेकिन अग्रिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 में खसरा नम्बर 524 यथावत विक्रेतागण के नाम खातेदारी में दर्ज है, लेकिन खसरा नम्बर 523 को सिवायचक दर्ज किया गया है, उक्त आराजीयात विक्रेतागण द्वारा दिनांक 20.04.1960 अर्थात सम्वत 2017 में विक्रय की गई है, जो पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श पी–1 से सिद्ध है, इसप्रकार बरवक्त विक्रय उपरोक्त वर्णीत आराजीयात विक्रेतागण की खातेदारी में दर्ज होना सिद्ध पाया जाता है, किन बाद विक्रय साबिक खसरा नम्बर 523 सिवायचक दर्ज किया गया है तत्पश्चात मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–4 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 523 के वर्किंग खसरा नम्बर 915 रकबा 10 बीघा सिवायचक दर्ज की गई एवं 916 से 920 क्रेतागण के नाम दर्ज कर दी गई एवं साबिक खसरा नम्बर 523 से बने वर्किंग खसरा नम्बर 923 सिवाचयक दर्ज की गई तथा 924 क्रेतागण के नाम दर्ज की गई लेकिन 925, 926 व 927 प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस सख्या 10 से 13 यथा रामा वल्द लूम्बा एवं उसके पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त व्यक्ति अथवा इनके पूर्वज रिकार्ड पर प्रस्तुत चौसाला जमाबंदीयों में भी दर्ज नहीं रहे हैं, जिससे उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 925, 926 व 927 बंदोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन बेचान मुंतकिल किए बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 10 से 13 के नाम पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित कर दर्ज किया जाना सिद्ध होता है जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था उक्त प्रविष्टियां क्षेत्राधिकार विहिन एवं शून्य प्रविष्टियों की श्रेणी में आती है, जैसा की अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर0आर0टी0 2001 भाग प्रथम पृष्ठ 244 (एच0सी0) एवं 2008 आर0आर0टी0 भाग प्रथम पृष्ठ 151 (एच0सी0) के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रस्तुत प्रकरण में अक्षरसः चस्पा होते हैं। उक्त कथशुदा आराजीयात पर पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श पी–1 के अनुसार विक्रेतागण द्वारा दिनांक 20.04.1960 को ही कब्जा व दखल क्रेतागण को प्रदान किया जाना स्वयं स्वीकार किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में क्रेतागण का कब्जा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के नहीं होना अंकित कर दिया जिस हेतु अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर.एल.डब्लयू. 2003

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

पार्ट 3 पृष्ठ 1891 (बी)(एचसी) का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक बार व्यक्ति द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की जाती है वह उसके विरूद्ध कोई कथन प्रस्तुत नहीं कर सकता जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में उप–पंजीयक के समक्ष विकेतागण द्वारा केतागण को कब्जा प्रदान करना स्वीकार किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के विपरीत अंकन किया है इसके अतिरिक्त रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 के अनुसार तत्कालीन समस्त सहखातेदारान द्वारा विक्रय– पत्र निष्पादित किया जाना सिद्ध होता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में यह अंकित करना की सभी सहखातेदारों की सहमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता कतई गलत अंकित किया जाना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नहीं कर उक्त तनकी प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक में सिद्ध होने के बावजूद त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया जाना सिद्ध है, अतः उक्त तनकी बहक वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीबी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पोडेटस के हक में निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, लेकिन वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 915 रकबा 10 बीघा एवं 923 रकबा 19 बिस्वा जो सिवायचक दर्ज की गई है पर लगातार कब्जेकाश्त बाबत अपीलांटस द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की है, जिससे वर्किंग खसरा नम्बर 925, 926 व 927 बाबत ही उक्त तनकी बहक वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीबी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पोडेंटस के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या–: 2. आया वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 524 एवं 523 का विक्रय जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र किया गया था ? उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण/अपीलांटस पर था जिसे सिद्ध करने के लिए वादीगण/अपीलांटस द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1960 प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार विक्रेतागण मूला पुत्र कालू भगवाना उर्फ भागू पुत्र करणा, कज्जा पुत्र हिमता, लादू पुत्र दुला तथा सालू व मण्डोरा पुत्रान लूम्बा द्वारा रूबरू गवाहान रामा पुत्र लाला जाति रावत निवासी गोडास व निबा पुत्र नोला जाति रावत निवासी होकरा के समक्ष उपपंजीयक कार्यालय अजमेर में क्रेतागण यथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज सूरा पुत्र भवाना 1/2 हिस्सा, दूदा पुत्र भूरा 1/4 हिस्सा तथा हरजी वल्द दूदा 1/4 हिस्सा का विक्रय–पत्र निष्पादित किया गया है जिसमें प्रतिफल राशि 2,320/–रूपए के आधे 1160/–रूपए प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने प्राप्त कर कब्जा व दखल क्रेतातागण को प्रदान किया जाना अंकित किया गया, उक्त विक्रय–पत्र को निरस्त कराने बाबत कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे पंजीकृत विकय पत्र आज दिनांक बहाल होना सिद्ध है, जिसके आधार पर विक्रेतागण के काश्तकारी स्वतवों का दिनांक 20.04.1960 को ही धारा 63 (7) काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अवसान होकर उक्त स्वतव क्रेतागण में निहित हो गए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 बाबत कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि पंजीकृत विकय–पत्र के अनुसार क्रेतागण के वारिस क्रयशुदा आराजीयात कि उद्धघोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीबी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पोडेंटस निर्णित की जाती है। तनकी संख्या–:3 आया वादी भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त कार्यवाही खसरा नम्बर 915 एवं 923 को सिवायचक दर्ज कर लिया जिसका की भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिसकी दुरूस्ती का वादी मुश्तक है ? उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/तरतीवी रेस्पोडेंटस पर था जिसे वे सिद्ध नहीं कर पाए। जिससे उक्त तनकी संख्या 3 खसरा नम्बर 915 एवं 923 की हद तक विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/तरतीवी रेस्पोडेंटस निर्णित की जाती है। तनकी संख्या –: 4 आया वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुश्तक हैं? उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/तरतीवी रेस्पोडेंटस पर था, जिनके द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार खसरा नम्बर 925 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 926 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 927 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की हद तक ही तनकी संख्या 1 सिद्ध कर पाए हैं अतः उक्त खसरा नम्बरान की हद तक वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/तरतीवी रेस्पोडेंटस विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं। उक्त तनकी इसी अनुसार निर्णित की जाती है। तनकी संख्या–: 5 आया प्रतिवादी सिद्ध करे, वादीगण द्वारा चाही गई दादरसी वह प्राप्त करने का अधिकारी नही है ? उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि वादीगण/अपीलांटस द्वारा खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 की हद तक तनकी संख्या 01 को सिद्ध किया जा चुका है लेकिन खसरा नम्बर 915 व 923 को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अतः उक्त तनकी खसरा नम्बर 915 एवं 923 की हद तक ही बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है। तनकी संख्या–: 6 आया प्रतिवादी सिद्ध करे की आराजी खसरा नम्बर 925, 926, 927 उनकी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है ? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त आराजीयात साबिक रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हो बल्कि रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार यथा चौसाला जमावंदी सम्वत 2015 से 2018 एवं 2019 से 2022 के अनुसार विक्रेतागण/प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होना पाया जाता है, जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी सिद्ध नहीं कर पाए थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को तो स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्ध नहीं कर पाए हैं लेकिन निर्णय में यह अंकन करना कि वादीगण द्वारा उक्त तथ्य का खण्डन नहीं किया गया कतई गलत प्रतीत होता है, क्योंकि रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 साबिक रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 10 से 13 अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वजों के नाम दर्ज थी जिनके द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय–पत्र वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजों को विकय कर कब्जा व दखल प्रदान किया गया। अतः उक्त तनकी खसरा नम्बर 925, 926व 927 की हद तक प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण उनके विरूद्ध निर्णित की जाती है। उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर अपीलांटस/तरतीबी रेस्पोडेंटस की अपील साबित होने से अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर आदेश दिए जाते हैं कि अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस सख्या 15 से 17 को खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 वाकै ग्राम मोहामी तहसील व जिला अजमेर में उक्त आराजीयात बाबत 1/2 – 1/2 आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 को निरस्त किया जाता है। वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पोडेंटस को खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 वाकै ग्राम मोहामी तहसील व जिला अजमेर में उक्त आराजीयात बाबत 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीवी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें, तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस को खसरा नम्बर 925, 926 एवं 927 वाकै ग्राम मोहामी तहसील व जिला अजमेर बाबत अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, एवं मदाखलत उत्पन्न करने एवं किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, तदअनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner